

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

श्रीमती बिन्दुबाला राजावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

श्री नन्दकिशोर पिता मुकन्दलाल जाति सुनार निवासी बड़ीसादड़ी तहसील बड़ीसादड़ी

– वादी

|| बनाम ||

1. श्री सुरेश पिता बालकिशन जाति गर्ग निवासी बड़ीसादड़ी
2. संतोष पिता बालकिशन जाति गर्ग निवासी बड़ीसादड़ी
3. ममता पिता बालकिशन जाति गर्ग निवासी बड़ीसादड़ी
4. मु० रामकन्या पत्नि स्व० बालकिशन जाति गर्ग निवासी बड़ीसादड़ी
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी, जिला – चित्तौड़गढ़ (राज.)

– प्रतिवादीगण

प्रकरण सं. 131/2018 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए.वादी की ओर से वकील श्री ऋषिलव मुणेत की उपस्थिति में और प्रतिवादी वकील एक्स पार्टी में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि बड़ीसादड़ी की आराजी नम्बर का का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

01. श्री नन्दकिशोर पिता मुकन्दलाल जाति सुनार सोनी निवासी बड़ीसादड़ी के रहेगी।

आ.न.	रकबा	लगान
1966	0.0100	आ.चा.
1967/2	0.3150	5.98
योग 02	0.3250	5.981.

2. श्री सुरेश संतोष ममता पिता बालकिशन मु० रामकन्या पत्नि स्व० बालकिशन जाति गर्ग निवासी बड़ीसादड़ी के रहेगी।

आ.न.	रकबा	लगान
1966/1	0.3250	6.18
योग 01	0.3250	6.18

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित..... को दी जावे। यह आज दिनांक 08.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

(बिन्दुबाला राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी

क्रमांक/राजस्व/2024/

दिनांक:-

मूल ही डिग्री की प्रति तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेजकर लेख है कि डिग्री अनुसार पालना कर रिपोर्ट पालना इस न्यायालय को भिजवाई जावें।



उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी

